

## विचार बिन्दु

हर चीज बदलती है, नष्ट कोई चीज नहीं होती। -अरविन्द घोस

## अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजना न केवल अवैध था अपितु अमानवीय भी तथा इस बाबत धारा 43 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 असंवैधानिक है

अमरीका में उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है जो अवैध रूप से घुसते हैं और बीजा नियमों की अवज्ञा करते हैं, अथवा ऐसे लोग हैं जो वैधानिक रूप से प्रवेश करते हैं, किन्तु बीजा की मियाद के बाद रूकते हैं तथा जो पैरोल की अवधि के बाद जेल नहीं लाते व ऐसे लोग हैं जिसका कानून के अनुसार अधिकार था, किन्तु दस्तावेजात का नवीनीकरण उन्होंने नहीं कराया। लगभग सभी देशों में यही नियम है। अवैध भारतीय प्रवासियों को उनके देश भारत भेजना डिपोट करना कलता है। अमेरिका के नये राष्ट्रपति ट्रम्प ने शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों पर सख्त सामूहिक निर्वासन की घोषणा की है और उन्हें एक अमेरिकी सैन्य सी-17 विमान से 104 भारतीयों को भारत भेजा है, यह विमान अमृतसर उतरा है। इनके हाथों में हथकड़ी व पैरों में बेड़ी थी, मानो वे गुलाम हों, उन्हें भूखा प्यासा भी रखा गया। उन्हें इस प्रकार भेजा जावेगा इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं दी गई। प्रत्येक देश अपने नागरिकों को वापिस लाता है। भारत अपने लोगों को वापिस लाता रहा है। अमेरिका में 17940 भारतीय हैं, जिनके पास रहने के कोई डोक्यूमेंट्स नहीं हैं। गत वर्ष 1529 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापिस भेजा था। भारत में भी घुसपैठिये बहुत हैं, जिन्हें निर्वासित किया जाना है। एजेन्ट घोषे से इन्हें सही रास्ते से नहीं अपितु 'डॉकी रूट' से भी ले जाते हैं। यात्रा में पहाड़ी भूमि और समुद्र तक आते हैं रास्ते विकट होते हैं। डिपोट भारतीयों ने आरोप लगाये कि अमेरिका में उनके साथ कैदियों से भी खराब व्यवहार किया जाता है। इन्हें सैन्य विभाग में भी बहुत कष्ट दिये गये। अमानवीय व्यवहार किया गया।

अमरीका से भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी बांध कर भेजने पर दोनों सदनों में सरकार को घेरा और विदेश मंत्री जयशंकर को जवाब देने को बाध्य किया। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि अमरीका का अवैध भारतीय प्रवासियों की निर्वासित करने की प्रक्रिया नई बात नहीं है, यह अमरीका के नियमों के अनुसार है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह सभी देशों का कर्तव्य है कि उनके नागरिकों को वह अपने यहां लें। भारत सरकार कह चुकी है कि अवैध प्रवासियों को पहचान करने और उन्हें वापिस लेने के लिये ट्रम्प प्रशासन के साथ काम करने को तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित किया जावे। डिपोट करने के लिये मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हिरासत केपमें में बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन न हो। संसद में इस संबंध में गम्भीर बहस हुई थी और संसदों ने यहां तक कहा कि पीएम मोदी ट्रम्प के अच्छे दोस्त हैं उन्होंने फिर ऐसा व्यवहार क्यों होने दिया? देश को ऐसे लोगों को अपने जहाज से लाना चाहिये था। प्रतिपक्ष के नेतृ ने कहा प्रधानमंत्री को इन लोगों का दर्द सुनना चाहिये। 40 घंटों तक हथकड़ी व बेड़ी में बंधे रहने की वेदना अवर्णनीय है। इस प्रकार की घटनायें उप-निवेशिक काल की याद को ताजा करती हैं।

हथकड़ी लगाने का प्रचलन लगभग 400 बीसी का है। उस समय युद्ध के बंधियों को कन्ट्रोल किया जाता था। वर्तमान समय में हथकड़ी का उपयोग 1912 से किया जाने लगा, जब पुलिस स्टेशन से जेल, कैदियों को ले जाया जाता था या कोर्ट ले जाया जाता था और वापिस लाया जाता था। ब्रिटेन के शासन के समय उपनिवेशवादी सरकार स्वतंत्रता सैनानियों को हथकड़ी व बेड़ियों में इसलिये बांधकर रखती थी कि कहीं वे भागकर पुनः स्वतंत्रता आंदोलन में न जुड़ जावें। आजादी से पूर्व पुलिस एक्ट 1861 की धारा 12 में इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को अधिकार दिये गये थे कि वे इस बाबत नियम बना सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस रेगुलेशन बंगाल 1943 पारित किया और उसमें यह व्यवस्था दी गई कि हथकड़ी का प्रयोग केवल बहुत अधिक आवश्यक परिस्थितियों में ही होगा, तथा महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई जावेगी।

मानव अधिकारों की घोषणा के बाद से यह माना गया कि मानव की गरिमा अक्षुण्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अतः हथकड़ी लगाना अभद्र तरीका है, किन्तु पुलिस फिर भी अपनी शक्ति के घमण्ड में हथकड़ी का प्रयोग करती रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों से स्पष्ट निर्देश दिया कि सामान्यतः हथकड़ी कैदी के नहीं लगाई जावेगी, क्योंकि ऐसा करना अमानवीय है तथा नारकीय कृत्य है। यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने हथकड़ी लगाने से मानव को मुक्त कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि सब मानव समान हैं, स्वतंत्र हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

मानवीय सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित हैं और गरिमा मय जीवन जीने के अधिकारी हैं। किसी के साथ नारकीय व्यवहार नहीं होगा। कष्ट नहीं दिया जावेगा यानी बलात्कार व्यवहार निषेध किया गया। यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त (कानून) माना जा रहा है कि व्यक्ति की गरिमा को खण्डित करने वाला कानून, दण्ड, प्रक्रिया अमानवीय है अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं, जिनके द्वारा अवैध तय हो चुका है कि हथकड़ी लगाना अमानवीय कृत्य है, इससे दूर रहना ही उचित व्यवहार है।

-अतिथि समावादक,  
पानाचन्द जैन  
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



राजेश भूषण

2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी और तालिबान के पुनर्जन्म से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के साथ इस क्षेत्र का भू-राजनीतिक परिदृश्य अत्यधिक अप्रत्याशित परिवर्तन से गुजर रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में उथल-पुथल देखी जा रही है क्योंकि भारत एक तरफ अस्थिर बांग्लादेश से बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने बदलते रिश्तों की गतिशीलता के अप्रत्याशित परिणामों से जूझ रहा है।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंध, जो कभी साझा इतिहास और आपसी हितों में निहित था, अब एक चिंताजनक स्तर तक बिगड़ गया है और तालिबान, जो कभी पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी था, अब कई मोर्चों पर एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में बदल गया है। इस संबंध में गहरा बदलाव केवल तनावपूर्ण संबंधों का मामला नहीं है बल्कि यह एक पूर्ण विकसित संघर्ष का आकार ले चुका है जिसमें सैन्य संघर्ष और ड्रूंड रेखा पर बढ़ता तनाव शामिल है।

अफगानिस्तान में तालिबान का उदय पाकिस्तान के ऐतिहासिक रणनीतिक हितों से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने शुरू में संयुक्त राज्य

अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान को हथियार देने और समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में अमेरिका और नाटो बलों का विरोध करने के लिए लॉजिस्टिक, सामग्री और नैतिक सहायता प्रदान की थी। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी, अफगान-पाक घुरी के लिए कथित जीत का क्षण से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तान के लिए स्थिति उलट गई। तालिबान की सत्ता में वापसी ने क्षेत्रीय समीकरण को बदल दिया है। तालिबान ने अब आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना दर्शाते हुए पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में ड्रूंड रेखा को खारिज कर दो पुराने सहयोगियों के बीच विवाद खड़ा कर दिया है।

अफगानिस्तान से संचालित हो पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को तालिबान के समर्थन में पहले से ही कमजोर पाक-अफगान संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। वैचारिक मतभेदों और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ तालिबान के सहयोग की कमी के कारण आपसी विश्वास टूट गया है। वैश्विक इस्लामी आंदोलन का नेतृत्व करने की तालिबान की महत्वाकांक्षा और सीमाओं से परे अपने प्रभाव विस्तार में पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा में संरिखित कर तनाव को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ तालिबान के संबंध आश्चर्यजनक तरीके से विकसित हुए हैं, जिससे इस्लामाबाद में कई भौहें तन गई हैं। पाकिस्तान द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असमर्थता को देखते हुए नया तालिबान क्षेत्रीय आर्थिक समर्थन

हासिल करने में भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा है। यह आर्थिक और कूटनीतिक बदलाव पाकिस्तान के लिए एक चुनौती है और इस क्षेत्र में भारत को प्राथमिक विरोधी के रूप में देखा है।

चीन और रूस के साथ तालिबान के बढ़ते संबंध अफगानिस्तान को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में बल देने में सक्षम बनाया जा सकता है, इस प्रकार भारत से संचालित खतरों के खिलाफ अफगानिस्तान का उपयोग पाकिस्तान के लिये मुस्किल हो जाता है। इन मुद्दों के साथ साथ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को जटिल बनाता है। देश की सेना कई आंतरिक संघर्षों में लगी हुई है, विशेष रूप से बलूचिस्तान में। क्षेत्र में सैन्य बल घरेलू सुरक्षा चिंताओं और तालिबान से बढ़ते बाहरी खतरों दोनों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में पाकिस्तान असमर्थ है, जिससे एक अनिश्चित स्थिति पैदा हो गई है।

ड्रूंड रेखा पर मतभेद, दोनों पक्षों में सैन्य संघर्ष में नुकसान परिणामस्वरूप, और तालिबान का टीटीपी के प्रति समर्थन, साथ ही पाकिस्तान और तालिबान के बीच गहरे वैचारिक मतभेद पाक-अफगान संबंधों को निम्न स्तर पर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक ऐसे समय में जब इसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिरता पहले से ही नाजुक है, एक बहु-क्षेत्रीय संघर्ष में उलझे का जोखिम निश्चित रूप से भारत के लिये लाभकारी स्थिति है।

भारत को अफगान-पाक सीमा के साथ बढ़ती अस्थिरता और पाक-अफगान संबंधों के निम्न स्तर के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय गतिशीलता का आकलन करना चाहिए। आर्थिक सहायता और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों में भारत - अफगानिस्तान के बढ़ते

संबंध पाकिस्तान के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर सकते हैं। एक मजबूत भारत-अफगान संबंध, विशेष रूप से पाकिस्तान की बढ़ती अलावा के संदर्भ में, भारत के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रभाव के नए अवसर पैदा करता है।

भारत को इस लाभदायक स्थिति का लाभ उठाने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति और रणनीतिक पूर्वदृष्टि के साथ एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया चाहिए। दक्षिण एशियाई भू-राजनीति के व्यापक संदर्भ में आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाते हुए अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रा और तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताफी के बीच हालिया बैठक ने अफगान नेतृत्व के साथ भारत के प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में प्रगति की है। भारत ने पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में सहायता और पुनर्निर्माण कार्य में 3 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारत का मुख्य ध्यान क्षेत्रीय विकास, व्यापार और मानवतावादी सहयोग है और साथ ही विकासोत्पन्न परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और अफगानिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों को मदद हेतु एक समझौते पर है।

भारत को अफगान-पाक सीमा के साथ बढ़ती अस्थिरता और पाक-अफगान संबंधों के निम्न स्तर के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय गतिशीलता का आकलन करना चाहिए। आर्थिक सहायता और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों में भारत - अफगानिस्तान के बढ़ते

अनदेखी करना एक विकल्प नहीं है। भारत अपने ऐतिहासिक संबंधों और अफगानिस्तान के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करता है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि क्षेत्र में तालिबान के पुनरुत्थान के साथ भारत के लिए भी कट्टरपंथीकरण का खतरा बढ़ रहा है। भारत को एक ही टोकरी (तालिबान) में सभी अंडे डालने से बचना होगा और वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हामिद करजई और शेख हसीना के मामले में की थी। पाकिस्तान की टीटीपी के खिलाफ आतंकवाद-रोधी बलों की गहरी भागीदारी भारत के लिए एक अस्थायी सैन्य लाभ पैदा कर जम्मू और कश्मीर में इसकी स्थिति को मजबूत करेगी।

अन्य देशों की तरह भारत ने भी तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन नई दिल्ली फिर भी काबुल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन, पश्चिम के अफगानिस्तान प्रस्थान से पैदा हुए शून्य को ना भर सके। ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक कमजोरी और उजागर हो गई है। यह बंदरगाह अफगानिस्तान को पाकिस्तान के माध्यम से जाने की आवश्यकता के बिना वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। नतीजतन, अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, जबकि अफगान सामानों के लिए मुख्य पारगमन केंद्र के रूप में पाकिस्तान की भूमिका कम हो रही है। भारत के लिए यह सही समय है कि वह पाकिस्तान और तालिबान के बीच बिगड़ते संबंधों के दृष्टिगत अपने हितों को आगे बढ़ाए।

राजेश भूषण,  
डायरेक्टर, एडवैन्सपीएल,  
जयपुर

## पांचवी बोर्ड अभ्यर्थियों का चार किलोमीटर के क्षेत्र में ही होगा परीक्षा सेंटर

शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किये, 33 जिलों के आधार पर होगी मुख्य परीक्षा

बीकानेर, (निर्स)। शिक्षा विभाग ने 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों की पांचवी बोर्ड परीक्षा राज्य में 33 जिलों के डाइट के आधार पर कराई जाएगी।

5वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 8 सदस्य जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति गठित की जाएगी। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित डाइट प्राचार्य होगा। वहीं, ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा 6 सदस्य ही ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा।

संबंधित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को अधिकतम चार किलोमीटर की दूरी तक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यदि किसी परिस्थिति में संबंधित परीक्षा केंद्र में बदलाव करना हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा के बाद जिला नोडल अधिकारी के जरिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही केंद्र में बदलाव हो सकेगा।

5वीं बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 8 सदस्य जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति गठित की जाएगी।

परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित थी।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में दूसरी बार बढ़ावती की है। परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रहे अभ्यर्थी अब 15 फरवरी तक

ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित थी। लेकिन निर्धारित तिथि तक आठवीं में करीब 10 हजार और 5वीं में 25 हजार अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए।

ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 फरवरी निर्धारित थी। लेकिन निर्धारित तिथि तक आठवीं में करीब 10 हजार और 5वीं में 25 हजार अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए।

छात्रहित में पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को तीन दिन के लिए बढ़ाया है। पंजीयक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी आवेदन से वंचित रहता है तो संबंधित स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में समस्त सीडीओ और डाइट प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं।

पंजीयक बोर्ड परीक्षा में अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वहीं उन्नी राजकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जहां पहले से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

## सहायक अध्यापक अब मानदेय से वंचित नहीं रहेंगे, निर्देश जारी

बीकानेर, (निर्स)। राज्य के महात्मा गांधी इंटरलॉ मॉडियम स्कूलों में राजस्थान कान्ट्रेन्चुअल हायरिंग सिविज पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लेवल वन और लेवल सैकंड के पदों पर सिविदा पर कार्यरत सहायक अध्यापक अब मानदेय से वंचित नहीं रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक गोपाल राम बिड़ड़ा ने इस

महात्मा गांधी अग्रेजी स्कूलों में सिविदा पर नियुक्त हैं अध्यापक


संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त निदेशक ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी सिविदा सहायक अध्यापक नियमों

के तहत पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने तथा मेडिकल व एनपीएस पुनर्भरण के लाभ से वंचित नहीं रहें। दरअसल, सिविदा सहायक अध्यापकों को शाला दर्पण पोर्टल पर मैपिंग कराए जाने संबंधित करवाई प्रक्रियाधीन है। सिविदा कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान हो इस संबंध में मॉनिटरिंग संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

## “जल ग्रहण यात्रा” का आयोजन 15 फरवरी से

भीलवाड़ा, (निर्स)। जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जलग्रहण विकास के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भीलवाड़ा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में “जल ग्रहण यात्रा 2025” का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (जल ग्रहण घटक) के तहत 15 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से विभिन्न ग्राम पंचायतों और सामुदायिक स्थलों पर आयोजित की जाएगी। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे इस यात्रा में सक्रिय भाग लें और जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाएं। आयोजन एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करना और चारागाह विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना है।

### राशिफल शुक्रवार 14 फरवरी, 2025



पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:09 तक, अतिगंड योग प्रातः 7:10 तक, तैलिल करण प्रातः 9:07 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रातः 5:44 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कुम्भ, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सेन्ट वेलेन्टाइन दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:31 तक, लाभ-अमृत 8:31 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:04 तक, चर 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:08, सूर्यास्त 6:14

**मेघ**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आज परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

**वृष**  
चर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आपसी मतभेद समाप्त हो सकती है। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

**मिथुन**  
चर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। आज परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

**कर्क**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

**सिंह**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज धन हानि का पथ है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उन्वाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

**कन्या**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। आज संचालित श्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

**तुला**  
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज अर्नाल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

**वृश्चिक**  
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**धनु**  
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

**मकर**  
शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

**कुंभ**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। वनते कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

**मीन**  
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।